

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी—

श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख फैसला

5/प्रा.पत्र/2020

08.01.2020

28.10.2020

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
बून्दी —प्रार्थी

—बनाम—

श्री सत्यनारायण गुप्ता पुत्र श्री शंकर लाल गुप्ता, विक्रेता एवं मालिक, मैसर्स श्री फलौदी
दुध डेयरी, आदर्श बाजार, केशवरायपाटन, तहसील व जिला बून्दी। निवासी—श्री चामुण्डा
कॉलोनी, वार्ड नं. 4, केशवरायपाटन, जिला बून्दी। —अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से— श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
अप्रार्थी स्वयं उपस्थित है।

—: निर्णय :-

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना-पत्र में
निम्नांकित बिन्दु अंकित किये हैं:-

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी
का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित
अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक
26.07.2011 एवं क्रमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/470 दिनांक
09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिये
अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच/
पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य
क्षेत्र, जिला बून्दी आवंटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक
एफएसएसए/नोटिफिकेशन/ 2011/496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी
जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.08.2019 को समय 11:00 ए.एम. पर
नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु आदर्श बाजार, केशवरायपाटन स्थित फर्म श्री फलौदी
दुध डेयरी पर पहुंचा। वहां पर श्री सत्यनारायण गुप्ता आ0 शंकर लाल गुप्ता,
विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य
लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी

बून्दी (राज०)

3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित डेयरी पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ घी, स्टील की टंकी में लगभग 11 किलोग्राम उपलब्ध था। उक्त खाद्य पदार्थ घी में मिलावट का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, स्टील के चम्मच से लेकर, तुलवाकर, 800 ग्राम, एक साफ सुखी व स्वच्छ स्टील भगोनी में वास्ते जांच खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को रु. 400/- नगद देकर रसीद प्राप्त की।
4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी पुनः स्टील के चम्मच से बारीक एवं एकरूप कर चार कांच की साफ, सुखी व स्वच्छ शीशीयों में बराबर भरा एवं ढक्कन लगाकर एयरटाईट किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू-1355 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी डॉ गोकुल लाल मीणा द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू-1355 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार-चार जगह नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होंने चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।
5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.-6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।
6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/236 दिनांक 06.09.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 404/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2019/408 दिनांक 30.08.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया घी, स्वरस्टेण्डर्ड (Substandard) पाया गया।
7. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/354

अतिरिक्त जिला प्रोजेक्टर

एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी

बून्दी (राज०)

दिनांक 31.12.2019 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ घी का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।


बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाप्त की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गिरिराज शर्मा द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ घी का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 51 का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी श्री सत्यनारायण गुप्ता द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत न कर सीधे ही बहस में निवेदन किया गया कि अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी है जो पशुपालकों से दूध लेकर घी तैयार करता है। कभी-कभी डेयरियों से भी घी प्राप्त कर विक्रय करता है। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जान माल की हानि हो। प्रार्थी छोटा व्यापारी एवं प्रथम कृत्य होने से सहानुभूति का रूख अपनाते हुए निर्णय करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली व उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस प्रार्थी पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना घी खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) घोषित किया गया है। अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान पर स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ घी का खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है। अप्रार्थी श्री सत्यनारायण गुप्ता जो मैसर्स श्री फलौदी दुध डेयरी, आदर्श बाजार, केशवराय पाटन के मालिक/लाईसेन्स धारक है उक्त स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ घी की विक्रय हेतु आपूर्ति की गई है। अप्रार्थी का कृत्य दोषसिद्ध होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी को 50,000/- (अक्षरे-पचास हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी
न्याय निर्णय अधिकारी
बून्दी (राज०)